न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री दाताराम आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2017 (225 आरटी एक्ट) बीरबलराम वगै. बनाम पूंजराजसिंह वगै.

1 बीरबलराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
2 सुखराम पुत्र श्री धूड़ाराम, दोनों जातियान विश्नाई, निवासीगण–साथरी की ढाणी(पलीना), तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 पूंजराजसिंह पुत्र श्री अचलसिंह जाति राजपूत,
2 गजर कंवर पत्नी रुगनाथसिंह जाति राजपूत,
3 लादूसिंह पुत्र श्री रूपसंह जाति राजपूत,
4 जयसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत,
5 सदाकंवर पत्नी श्री रूपसिंह जाति राजपूत,
6 पेपसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत,
7 तेजाराम पुत्र श्री धूड़ाराम जाति विश्नोई
निवासी गण साथरी की ढाणी (पलीना) तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
8 शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी बैंक शाखा खींचन।
9 शाखा प्रबंधक स्टेट बेक ऑफ बीकानर एण्ड जयपुर शाखा फलोदी जिला जोधपुर।
10 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक शााखा फलोदी तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर।
11 तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उखण्ड अधिकारी फलोदी
दिनांक 27.02.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 242/2013

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई।
2 रेस्पोडेट्स सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मोती सिंह।
3 रेस्पो. सं. 7 बावजूद तामील अनुपस्थित।
4 रेस्पो. 8 से 10 प्रोफार्मा पक्षकार।
5 रेस्पो. सं. 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम विश्नोई।

निर्णय

दिनांक : 21.11.17

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र

21/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि खेत खसरा नं. 46/2 व 46/3 मौजा ग्राम साथरी की ढाणी तहसील फलोदी जिला जोधपुर में है। जिसमें रास्ते की घोषणा के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पो. सं. 2 से 5 द्वारा रास्ते के लिए सहमति दी, पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दी गई तत्पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. सं. 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। तथा अपीलार्थी के खसरा नं. 74 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा में से 11 बिस्वा व खसरा नं. 74/2 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा में से रकबा 11 बिस्वा भूमि 15 फुट चौड़ाई में व 620 फीट लम्बाई में उपयोग व उपभोग हेतु रास्ते के रूप में घोषणा करने का आदेश दिनांक 27.02.17 को पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में आलोच्य अपील पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पो. सं. 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित, रेस्पो. सं. 8, 9, 10 प्रोफार्मा पक्षकार है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करके भेजी गई है। जबकि नियमानुसार भू–अभिलेख निरीक्षक से कम रैंक का अधिकारी रिपोर्ट देने के लिए सक्षाम नहीं है। रास्ते के नियमों के तहत खसरा नं. 74/3 में मौके पर रास्ते के लिए छोड़ा हुआ है जो वर्तमान में रास्ते के काम आ रहा है जिसका उपयोग सभी पक्षकारों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण नए रास्ते की घोषणा नहीं की जा सकती। मौका रिपोर्ट पक्षकारो की अनुपस्थिति में मंगाई गई। नक्शे में खसरा नं. 74 के बटा नंबर दिखा दिए हैं जबकि मूल नक्शे में बंटा नंबर नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का आदेश फरमावें एवं मामले को प्रतिप्रेषित किया जाकर नई मौका रिपोर्ट मंगाई जाकर नियमानुसार निस्तारण किए जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पो. 1 से 6 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के जबाब के पैरा नं. 2 में अप्राथीगण द्वारा उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 46/2 व 46/3 के चिपता चिपत दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 149 ग्राम लक्ष्मण पुरा में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। यह तथ्य गलत है। वहां कोई रास्ता नहीं है। दूसरे गांव की जमीन में से रास्ता मांगने का हमारा कोई अधिकाार नहीं हैं। नक्शा ट्रेस जो नया जारी हुआ है उसमें खसरा नं. 74 के बंटा नंबरों की तरमीम है। अतः प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं पटवारी की रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक के भी हस्ताक्षर हैं इसलिए रिपोर्ट सही है व अधीनस्थ न्यायालय ने काश्तकारों की सुविधा को ध्यान मे रखकर रास्ता दिया है 7 लोगों में से 5 को कोई ऐतराज नहीं है इसलिए उन्होंने अपील नहीं की केवल 2 पक्षकारों की ओर से अपील हुई है। इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गई इसलिए अब अपील में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने व्यापक रूप से अभियान के तहत तहसीलदार को सुओमोटो काश्तकारों के रास्ते दिलवाने के लिए अधिकृत किया है जिसमें पटवारी हल्का को रिपोर्ट

21/11/17
राजस्व अपील अधिकारी

देने के अधिकार दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली ढाई साल से लंबित रही अतः रास्ते के मामलों में प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित नहीं है।

अपीलांट अधिवक्ता ने रिपीटल (पुनः बहस) में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में ढाई साल पत्रावली पक्षकारान के प्रार्थी द्वारा नोटिस पेश नहीं करने के कारण बिलंब हुआ है। मौका रिपोर्ट 03.09.2016 की है जबकि मौका रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर दिनांक 20.09.2016 को हैं अतः यह रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक की नहीं मानी जा सकती। यदि सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जावे तो वैकल्पिक रास्ते की स्थिति सामने आएगी। यदि वैकल्पिक रास्ता पड़ोसी गांव के खेतों में से उपलब्ध है तो उसे लेने पर कोई रोक नहीं है। 251–क के प्रकरण में पटवारी हल्का रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 इस प्रकरण में प्रार्थी पुंजराजसिंह व गजरकंवर ने ग्राम साथरी की ढाणी में स्थित अपने खेत खसरा नं. 46/2 रकबा 45 बीघा 7 बिस्वा व 46/3 रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा के लिए 30 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है। यह रास्ता प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खसरा नं. 46, 46/1 के पश्चिमी–दक्षिणी कणे कणे होकर अप्रार्थी सं. 5 से 7 के खसरा नं. 74, 74/1, 74/2 के मध्य से पूर्व दक्षिण से पश्चिम दक्षिण की तरफ से प्रस्तावित किया है। अपीलांट का कथन है कि मौका रिपोर्ट पटवारी से मंगाई गई है एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः दिया गया रास्ता निकटम नहीं है बल्कि लंबा है। जबकि रेस्पो. का कथन है कि रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक के भी हस्ताक्षर हैं। तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने काश्तकारों की सुविधा को देखते हुए रास्ता दिया है।

अपीलांट व रेस्पोडेंट के विरोधाभाषी कथन की सत्यता के लिए मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दिनांक 03.09.2017 को मौका देखकर तैयार की है। इस रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के अलावा किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। इस मौका रिपोर्ट प्रथम पेज पर भू.अ. अकित करके हस्ताक्षर हैं व हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 20.09.16 अंकित है। इस रिपोर्ट को मूल ही तहसीलदार फलोदी ने अपने पत्रांक राजस्व /2016/1767 दिनाक 26.09.16 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित की है। उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित इस रिपोर्ट में तहसीलदार के हस्ताक्षर व पटवारी की मौका रिपोर्ट के प्रथम पेज पर भू.अ. के नीचे किए हस्ताक्षर समान है। इससे स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.09.16 को तहसीलदार फलोदी के समक्ष पेश की थी इस रिपोर्ट को तहसीलदार फलोदी ने भू–अभिलेख शाखा को मार्क किया है। इस रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह रिपोट भू–अभिलेख निरीक्षक ने तैयार की है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार करना पाया जाता है। जो नियमों के विपरीत है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता निकटतम है या लंबा है इसके लिए मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे पर पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता डी–ई–बी–सी है जबकि प्रार्थी के खसरा नं. 46/2 की रास्ते हेतु निकटतम दूरी ए–बी–सी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता निकटतम भी

2/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं है। साथ ही रिपोर्ट पर वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह रिपोर्ट धारा 251–क व नियम 69 के विपरीत है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के प्रथम पेज पर तो पटवारी ने अंकित किया है कि सुखाचार के तहत रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार पटवारी को यह भी जानकारी नहीं है कि प्रार्थना पत्र किस धारा में प्रस्तुत हुआ है। अतः हम अपीलांट के अधिवक्ता के तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि यदि इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर जांच की जाती तभी सही तथ्य आ सकते हैं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सही तथ्य सामने नहीं आए हैं। इस संबंध अधिनियम की धारा 251–क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिय नियम 69 का अवलोकन किया गया।

नियम 69 आवेदन की जांच और निपटारा :– प्ररूप–1 में किसी आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी, जो निरीक्षक भू–अभिलेख से अनिम्न रैंक का न हो, से निरीक्षण करवाएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी का पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने और ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है कि :–

1. *यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और*
2. *अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है।*

तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। आवेदन उपखण्ड अधिकारी द्वारा, आवेदन की तारीख से 90 दिन के भीतर विनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार 251–क के प्रकरण में नियम 69 की पालना एक आज्ञात्मक प्रावधान है। वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने नियम 69 की पालना नहीं की है। अतः अपीलाधीन आदेश धारा 251–क तथा नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

7 फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी फलोदी का आदेश दिनांक 27.02.17 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा इसके तहत बने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को नए सिरे से निर्णित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 21.11.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(दानाराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
जोधपुर